राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.3(50)नाविवि/3/2012 पार्ट जयपुर, दिनांक 18 OCT 2012

आदेश

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-A की उप धारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप नियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.6.99 के पश्चात् के प्रकरणों के संबंध में विभागीय अधिसूचना दिनांक 21.9.2012 में पर्यटन ईकाई हेतु प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं।

पर्यटन ईकाई नीति-2007 के तहत नगरीय विकास विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(61)नाविवि/3/96 पार्ट दिनांक 24.12.2007 के बिन्दु संख्या 2 (ii) व (iii) द्वारा टाउनशिप पॉलिसी एवं नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974, राजस्थान नगर पालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2000 के अन्तर्गत संशोधित किया जाकर कृषि/औद्योगिक/आवासीय भूमि से समस्त प्रकार के होटलों व अन्य-पर्यटन-ईकाईयों की स्थापना पर चाहे वे टाउनशिप योजना में भूखण्ड हो या स्वतंत्र प्लाट हो, संपरिवर्तन शुल्क से दिनांक 31 मार्च, 2010 तक मुक्त किया जाकर विकास शुल्क से मुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त परिपत्र दिनांक 24.12.2007 के द्वारा दी गई छूट दिनांक 31 मार्च, 2013 तक स्थापित किये जाने वाली पर्यटन ईकाइयों को प्रदान की गई है।

अतः पर्यटन ईकाई नीति-2007 के तहत स्थापित की जाने वाली ईकाईयों यथा होटल, रिसोर्ट, मोटल आदि को दिनांक 31 मार्च, 2013 तक राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9(1) के अन्तर्गत पर्यटन प्रयोजनार्थ निर्धारित प्रीमियम दरों एवं विकास शुल्क से छूट दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग/पर्यटन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय/संबंधित अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
8. सचिव, नगर सुधार न्यास.........................(समस्त)।
9. रक्षित पत्रावली।

18/10/2012
(एन0एल0मीना)
उप शासन सचिव-तृतीय